

Text & Context

THE HINDU

NEWS IN NUMBERS

जावा, इंडोनेशिया में विशाल समुद्री दीवार परियोजना की लागत

80 अरब डॉलर में। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जावा के उत्तरी तट पर एक विशाल समुद्री दीवार बनाने की योजना पर चर्चा की, जिसे विशाल समुद्री दीवार परियोजना के नाम से जाना जाता है। जकार्ता का अनुमान है कि इस जलवायु परियोजना को पूरा होने में 15 से 20 साल लगेंगे। रॉयटर्स

तमिलनाडु में तस्करी की गई सिगरेट और शराब का मूल्य नष्ट कर दिया गया।

12.5 करोड़ रुपये में। चेन्नई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले महीने तिरुवल्लूर ज़िले से ज़ब्त की गई 5.5 लाख से ज़्यादा विदेशी सिगरेट, करोड़ों रुपये की शराब और ई-सिगरेट को नष्ट कर दिया। इन प्रतिबंधित सामानों पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनियाँ नहीं थीं। पीटीआई

महाराष्ट्र में जब्त की गई भारतीय निर्मित विदेशी शराब की कीमत

1.34 करोड़ रुपये में। आबकारी विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) ज़ब्त की और अवैध परिवहन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने गोवा में निर्मित 1,400 पेट्री शराब बरामद की। पीटीआई

COMPILED BY THE HINDU DATA TEAM

Follow us  facebook.com/thehindu  X.com/the_hindu  instagram.com/the_hindu

क्या आरक्षण 50% की सीमा से अधिक होना चाहिए?

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 क्या गारंटी देते हैं? औपचारिक और वास्तविक समानता में क्या अंतर है? क्या आरक्षण अवसर की समानता के विचार का अपवाद है या उसकी निरंतरता? क्या आरक्षण के लाभ ओबीसी, एससी और एसटी की विशिष्ट उपजातियों तक ही सीमित हैं?

EXPLAINER

Rangarajan R.

अब तक की कहानी:

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उनका गठबंधन आरक्षण को बढ़ाकर 85% कर देगा। एक अन्य घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' जैसी 'व्यवस्था' लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

संवैधानिक प्रावधान क्या है?

अनुच्छेद 15 और 16 राज्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सहित) और सार्वजनिक रोजगार में क्रमशः सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देते हैं। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए, ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), SC और ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देते हैं। केंद्रीय स्तर पर आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षिप्त सारांश तालिका में दिया गया है। वर्तमान में केंद्र में आरक्षण इस प्रकार है - ओबीसी (27%), एससी (15%), एसटी (7.5%) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10%, जिसके परिणामस्वरूप कुल आरक्षण 59.5% है। आरक्षण का प्रतिशत राज्यों की जनसांख्यिकीय स्थिति और नीतियों के अनुसार अलग-अलग होता है।

अदालतों ने क्या फैसला दिया है?

यह मुद्दा समानता के दो स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी पहलुओं - औपचारिक और वास्तविक - के कारण उत्पन्न होता है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 'उचित सीमा के भीतर' होना चाहिए और इसे समग्र रूप से समुदाय के हितों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे फैसला दिया कि आरक्षण के ऐसे विशेष प्रावधान 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। इसे औपचारिक समानता के समर्थन के रूप में देखा जाता है जहाँ आरक्षण को अवसर की समानता के अपवाद के रूप में देखा जाता है और इसलिए यह 50% से अधिक नहीं हो सकता।

दूसरी ओर, मूलभूत समानता इस विश्वास पर आधारित है कि औपचारिक समानता उन समूहों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्हें अतीत में विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और जो ऐतिहासिक रूप से वंचित और अल्पप्रतिनिधित्व वाले रहे हैं। केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1975) मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने मूलभूत समानता के पहलू पर विचार किया था। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अवसर की समानता का अपवाद नहीं है, बल्कि उसी का एक दावा और निरंतरता है। हालाँकि, चूँकि 50% की अधिकतम सीमा न्यायालय के समक्ष कोई प्रश्न नहीं थी, इसलिए उसने इस मामले में इस पहलू पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं दिया।

इंद्रा साहनी मामले (1992) में, नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। इसने कहा कि भारतीय संदर्भ में जाति वर्ग का निर्धारक है। इसके अलावा, अवसर की समानता को बनाए रखने के लिए, इसने बालाजी मामले में निर्धारित आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा की पुनः पुष्टि की, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियाँ न हों। न्यायालय ने ओबीसी के भीतर 'क्रीमी लेयर' को भी बाहर रखने का प्रावधान किया। जनहित अभियान मामले (2022) में, न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि आर्थिक मानदंड आरक्षण का आधार हो सकते हैं और यह भी कहा कि इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित 50% की सीमा पिछड़े वर्गों के लिए थी, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण अनारक्षित समुदायों के बीच एक अलग श्रेणी के लिए है।



महत्वपूर्ण क्षण: महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की मांगों को स्वीकार करने के बाद मराठा समुदाय के सदस्य जश्र मनाते हुए, जिसमें मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है, जिससे वे ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभों के पात्र बनेंगे, 2 सितंबर को मुंबई में। पीटीआई

आरक्षण की यात्रा

केंद्रीय स्तर पर आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षिप्त सारांश

वर्ष	मुख्य विकास
1950 और 1951	संविधान का प्रारंभ और पहला संशोधन - ओबीसी, एससी और एसटी की उन्नति के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में सक्षम प्रावधान
1982	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% निर्धारित किया गया
1990	मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की शुरुआत
2005	93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिससे निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण संभव हो गया।
2019	103वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिससे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में अनारक्षित वर्ग के बीच ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक आरक्षण संभव हो गया।

प्रतिस्पर्धी तर्क क्या है?

डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में अपने भाषण में उन पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की आवश्यकता को उचित ठहराया था जिन्हें अतीत में इससे वंचित रखा गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि 'अवसर की समानता' के गारंटीकृत अधिकार को बनाए रखने के लिए आरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित होना चाहिए।

हालाँकि, जनसंख्या में पिछड़े वर्गों के अनुपात को दर्शाने के लिए आरक्षण प्रतिशत को न्यायिक सीमा 50% से आगे बढ़ाने की माँग बढ़ती जा रही है। इस अनुपात के बारे में केवल अनुमान के बजाय वास्तविक आँकड़े प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना की माँग जोरदार रही है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संसद में विभिन्न सरकारी उत्तरों के अनुसार, केंद्र सरकार में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षित 40-50% सीटें खाली रह जाती हैं।

एक अन्य विवादस्पद मुद्दा आरक्षण लाभों के संकेंद्रण से संबंधित है। ओबीसी जातियों के बीच उप-वर्गीकरण पर सिफारिशें देने के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अनुमान लगाया है कि केंद्रीय स्तर पर 97% आरक्षित नौकरियाँ और शैक्षणिक संस्थानों में सीटें केवल लगभग 25% ओबीसी जातियों/उप-जातियों द्वारा प्राप्त की गई हैं। ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत लगभग 2,600 समुदायों में से लगभग 1,000 का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व है।

आरक्षण लाभों के संकेंद्रण का एक समान मुद्दा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में भी बना हुआ है। इन समुदायों के लिए 'क्रीमी लेयर' को बाहर नहीं रखा गया है। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ के चार न्यायाधीशों ने केंद्र सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखने के लिए उपयुक्त नीतियाँ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। हालाँकि, केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में एक केबिनेट बैठक में फिर से पुष्टि की कि 'क्रीमी लेयर' अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर लागू नहीं होता है।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 'क्रीमी लेयर' के विस्तार का विरोध करने वाले आलोचकों का तर्क है कि इन समुदायों के लिए रिक्रियाँ वैसे भी पूरी तरह से नहीं भरी जाती हैं। इसलिए, ऐसे समुदायों के भीतर 'क्रीमी लेयर' द्वारा और भी अधिक हाशिए पर पड़ी जातियों के अवसरों को हड़पने का सवाल ही नहीं उठता। यह भी संभव है कि किसी भी मानदंड के आधार पर 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने से रिक्रियाँ का लंबित बोझ और भी बढ़ जाएगा।

यह भी आशंका है कि ऐसी लंबित रिक्रियाँ आगे चलकर अनारक्षित सीटों में बदल सकती हैं, जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके उचित अवसरों से वंचित होना पड़ सकता है।

आगे क्या हो सकता है?

अवसर की समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आरक्षण में 85% तक की वृद्धि को इस अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। फिर भी, वंचितों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से ठोस समानता आवश्यक है। 2027 में होने वाली जनगणना के अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर, जिसमें पिछड़ी जातियों की भी गणना की जाएगी, आरक्षण के उपयुक्त स्तर पर पहुँचने के लिए सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। जनगणना के आँकड़ों पर आधारित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच उप-वर्गीकरण को लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में माँग की गई है, एक 'दो-स्तरीय' आरक्षण प्रणाली पर विचार किया जा सकता है। ऐसी योजना के तहत, उन समुदायों के अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को शामिल करने से पहले, अधिक हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण का लाभ आने वाली पीढ़ियों में वंचितों में सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुँचे।

यह भी ध्यान में रखना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों और हमारे देश की युवा आबादी को देखते हुए, आरक्षण की कोई भी योजना समाज के एक बड़े वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। उपयुक्त कौशल विकास तंत्र प्रदान करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए जो हमारे युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाएँ।

रंगराजन, आर. एक पूर्व आईएएस अधिकारी और 'कोसर्वेयर ऑन पॉलिटी सिफ़ाईड' के लेखक हैं। वह वर्तमान में ऑफिसर्स आईएएस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। व्यक्ति विचार व्यक्तिगत है।

THE GIST

अनुच्छेद 15 और 16 राज्य द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सहित) और सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देते हैं।

जनसंख्या में पिछड़े वर्गों के अनुपात को प्रतिबिंबित करने के लिए आरक्षण प्रतिशत को न्यायिक सीमा 50% से आगे बढ़ाने की माँग बढ़ रही है।

अवसर की समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आरक्षण में 85% तक की वृद्धि को इस अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। फिर भी, वंचितों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से ठोस समानता की आवश्यकता है।